



# पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाइट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: registrar@shekhauni.ac.in

क्रमांक:- 35164

दिनांक:- 27/09/2025

## विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 15.09.2025 का कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद् की विशेष बैठक दिनांक 15.09.2025 को विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में दोपहर 12:15 बजे आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:-

1.	प्रो. अनिल कुमार राय	माननीय कुलगुरु	अध्यक्ष
2.	डॉ. राजेन्द्र कुमार	राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3.	डॉ. राजेन्द्र सिंह	संकायाध्यक्ष, कला संकाय	सदस्य
4.	डॉ. मंजू लाडला	संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय	सदस्य
5.	डॉ. रणवीर सिंह	संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय	सदस्य
6.	डॉ. राकेश कुमार	संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय	सदस्य
7.	डॉ. देवी शंकर शर्मा	राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
8.	डॉ. नगेन्द्र सिंह नाथावत	राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
9.	कुलसचिव	कुलसचिव	सदस्य सचिव

प्रोफेसर अभिलाषा आल्हा, माननीय राज्यपाल प्रतिनिधि, डॉ. सुरेन्द्र डी सोनी, राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि, डॉ. भंवर लाल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय बैठक में ऑनलाईन उपस्थित हुए।

बैठक की विधिवत कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व माननीय कुलगुरु महोदय ने सभी आगन्तुक सदस्यों का स्वागत किया। बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया और विद्या परिषद् की बैठक में प्रस्तुत विशेष मद (Agenda) पर विचार-विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

**Item Agenda (मद) :-** विश्वविद्यालय इनहाउस कोर्सेज में प्रवेश प्रक्रिया पर विचार व निर्णय।

**चर्चा:-** पूर्व में आयोजित विद्या परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर कुलगुरु महोदय ने यह प्रस्ताव रखा कि विश्वविद्यालय परिसर में इस सत्र (2025-26) से 9 नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों पर प्रवेश लिये जा चुके हैं। लेकिन कुछ पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा कुछ पाठ्यक्रमों में न्यूनतम सीटों से भी कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। अतः इस संबंध में विचार व निर्णय किया जाये। विद्या परिषद् के माननीय सदस्य डॉ. रणवीर सिंह व डॉ. सुरेन्द्र डी. सोनी ने यह सुझाव दिया कि जिन पाठ्यक्रमों में न्यूनतम सीटों से भी कम आवेदन प्राप्त हुए हैं न्यूनतम सीटों की संख्या और भी कम करने की बजाय अगले सत्र (2026-27) में निर्धारित आवेदन प्राप्त होने पर शुरु किया जा सकता है। परिषद् के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या 50 करने का सुझाव दिया।

माननीय सदस्य डॉ. देवीशंकर शर्मा व प्रोफेसर अभिलाषा आल्हा ने यह सुझाव दिया कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिकतम 50 सीटों की संख्या वाले कोर्सेज में न्यूनतम सीटों की संख्या 20 से बढ़ाकर 25 कर दी जाये तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कोर्सेज में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा जारी प्रवेश नीति के अनुसार न्यूनतम प्रवेश रखा जा सकता है।

कुलगुरु महोदय ने यह भी प्रस्ताव रखा कि बीजेएमसी में प्रवेशित विद्यार्थियों को (न्यूनतम से कम संख्या होने पर) बीबीए या बीसीए में प्रवेश ले सकते हैं। इसी प्रकार बीबीए या बीसीए में प्रवेश ले चुके विद्यार्थी (न्यूनतम से

*Handwritten signature*

कम संख्या होने पर) बीजेएमसी कोर्स ले सकते हैं। प्रवेश के लिए स्थान रिक्त नहीं होने या प्रवेश के अनीच्छुक प्रवेशार्थियों को शुल्क वापस लौटाया जा सकता है जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया।


**निर्णय:—1.** विद्या परिषद के समस्त सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनवरत चल रहे स्नातकोत्तर कोर्सेज में सीटों की संख्या 40 से बढ़ाकर 50 किये जाने की सहमति प्रदान की। पाठ्यक्रम संचालन के लिए कुल सीटों के विरुद्ध 50 प्रतिशत (25 सीट) प्रवेश अनिवार्य होंगे।

**2.** सत्र 2025—26 से शुरू किये गये नये पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम सीटों (स्नातक पाठ्यक्रम 40 सीट एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 20 सीट) से भी कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो इन पाठ्यक्रमों का संचालन संभव नहीं होगा तथा इन पाठ्यक्रमों को इस सत्र के लिए निलम्बित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय किया जाता है।

**3.** विश्वविद्यालय में संचालित ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें न्यूनतम प्रवेश नहीं होने के कारण उनका संचालन इस सत्र में सम्भव नहीं हो सकेगा तथा इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुल्क जमा करवा चुके प्रवेशार्थियों को जिन पाठ्यक्रम में स्थान रिक्त है उनमें प्रवेश लेने का एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाये तथा जो अभ्यर्थी अपना प्रवेश शुल्क वापस लेना चाहते हैं उन्हें लौटा दिया जाये।

**4.** राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विभाग के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रवेश नीति का पालन सुनिश्चित किया जाये।

अंत में, सदस्य सचिव/कुलसचिव द्वारा सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

  
कुलसचिव